

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 50/2025
अनवान : -

1. भूपसिंह पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. सतनाम पुत्र करतार सिंह जाति रायसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

—प्रार्थीगण

बनाम्

1. मन्जुबाला पत्नि गुरमीत सिंह जाति रायसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय दिनांक: 25/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता सं. 144/146 के प.न. 323/378 मु.न. 24 के किला नं. 18/2 की 0.1160 हैक्टर भूमि 19 की 0.2530 हैक्टर कुल 2 किता की तादादी 0.3690 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी सं. 1 अकेला 1012/1845 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 2 अकेला 833/1845 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता सं. 194/144 के प.न. 323/378 मु.न. 24 के किला नं. 20 की 0.2530 हैक्टर भूमि स्थित है जिसका अप्रार्थी सं. 1 अकेला खातेदार काश्तकार है।


प्रार्थीगण अपने गांव से चलकर सड़क से होते हुए अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि रोही मौजा चक 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता सं. 194/144 के प.न. 323/378 मु.न. 24 के किला नं. 20 के पश्चिम साईड में दक्षिण से उतर की तरफ चलकर अपने खेत किला नं. 19 में प्रवेश कर जाते हैं एवं प्रार्थीगण का हमेशा से ही उक्त रास्ता से आवागमन रहा है यही रास्ता अत्याधिक नजदीक एवं सुविधाजनक हैं। प्रार्थीगण के खेत में आवागमन हेतु इसी रास्ता से यही रास्ता सबसे नजदीक एवं सुविधाजनक है तथा प्रार्थीगण को हमेशा से इसी रास्ता से आवागमन रहा है तथा यही रास्ता सबसे नजदीक एवं अत्यंत सुविधाजनक है एवं उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवापाने के अधिकारी है। यही बिनाय प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 को काफी मर्तबा कहा कि वो रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवे तथा प्रार्थीगण को आवागमन में बाधा उत्पन्न न करे जिस पर अप्रार्थी सं. 1 कुछ दिन तो आजकल आजकल करता रहा बिल आखिरकार बमुकाम रतनपुरा तहसील नोहर कतई इन्कार हो गये लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा चक 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता सं. 194/144 के प.न. 323/378 मु.न. 24 के किला नं. 20 की 0.253 हैक्टर भूमि के पश्चिम साईड में दक्षिण से उतर की तरफ एक गठठा रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार नोहर से रास्ता बाबात रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी सं. 1 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नहीं अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण अपने गांव से चलकर सड़क से होते हुए अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि रोही मौजा चक 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता सं. 194/144 के प. न. 323/378 मु.न. 24 के किला नं. 20 के पश्चिम साईड में दक्षिण से उतर की तरफ चलकर अपने खेत किला नं. 19 में प्रवेश कर जाते हैं एवं प्रार्थीगण का हमेशा से ही उक्त रास्ता से


अधिवक्ता
नोहर


आवागमन रहा है यही रास्ता अत्याधिक नजदीक एवं सुविधाजनक हैं। प्रार्थीगण के खेत में आवागमन हेतु इसी रास्ता से यही रास्ता सबसे नजदीक एवं सुविधाजनक है तथा प्रार्थीगण को हमेशा से इसी रास्ता से आवागमन रहा है तथा यही रास्ता सबसे नजदीक एवं अत्यंत सुविधाजनक है अतः रोही मौजा चक 13 के एनएन तहसील नोहर के खाता सं. 194/144 के प. न. 323/378 मु.न. 24 के किला नं. 20 की 0.253 हैक्टर भूमि के पश्चिम साईड में दक्षिण से उत्तर की तरफ एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जावे। तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर से प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है।

प्रार्थी को उक्त रास्ता के अलावा अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं है यही रास्ता सबसे नजदीक व सुविधाजनक है। तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट से प्रार्थीया की पूष्टी करती है अर्थात् सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये यही रास्ता सबसे सुविधाजनक व निकटतम है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार स्वीकृत शुद्ध रास्ता से सायला की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का सबसे छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता प्रतीत होता है अर्थात् सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है एवं अप्रार्थी द्वारा भी मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट अनुसार दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 13 के एनएन तहसील नोहर के खाता सं. 194/144 के प.न. 323/378 मु.न. 24 के किला नं. 20 की 0.253 हैक्टर भूमि के पश्चिम साईड में दक्षिण से उत्तर की तरफ एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता की भूमि के बदले सायलान के नाम दर्ज भूमि में से कम की जाकर सायलान की जो भूमि गैरसायला के चिपती हुई है गैरसायला के नाम दर्ज की जाती है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार अमल दरामद हो। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर